न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – अंजना सहरावत आर.ए.एस.

तारीख फैसला
11/1/2023

मिसल नं. 15/22 | तारीख दायरा 23.03.2022

भोलाशंकर आयु 68 साल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गणेशगंज तह0 पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 1023 रकबा 2.86है0, खसरा संख्या 1236/61 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 1238/957 रकबा 1.74है0, खसरा संख्या 62 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 932 रकबा 2.69है0, कुल 5 किता की 7.67है0 कृषि भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

उक्त भूमि वादी की कदीमी पैतृक भूमि है। वादी का नाम भोलाशंकर है, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भोलाशंकर के स्थान पर भोजराज अंकित कर दिया गया, जबकि अन्य शासकीय दस्तावेजों में वादी का नाम भोलाशंकर ही अंकित है। विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे परिशुद्ध किया जाकर विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम भोजराज के स्थान पर भोलाशंकर करवाने का विधिक अधिकारी है।

यह कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में हो रही उक्त त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन करने पर भी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। इस परिस्थिति

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

वादी के पास इस सम्मानीय न्यायायल के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू-धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80 दी0प्र0स0 के प्रावधानों की पालना आवश्यक है, किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरूद्ध वाद करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दी0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 04.01.2022 को प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत गणेशगंज में वादी द्वारा उपरवर्णित त्रुटि परिशुद्ध करने बाबत निवेदन किया तो तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने बाबत हिदायत देने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एवं डिकी पारित करने की ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 1023 रकबा 2.86है0, खसरा संख्या 1236/61 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 1238/957 रकबा 1.74है0, खसरा संख्या 62 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 932 रकबा 2.69है0, कुल 5 किता की 7.67है0 कृषि भूमि पर वादी का नाम भोजराज के स्थान पर भोलाशंकर अंकित कर राजस्व अभिलेख में इंद्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन की गई। बहस वकील वादी सुनी गई दौराने वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय का निर्णय एव डिकी पारित करने की ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 1236/61 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 1238/957 रकबा 1.74है0, खसरा संख्या 62 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 932 रकबा 2.69है0, कुल 5 किता की 7.67है0 कृषि भूमि पर वादी का नाम भोजराज के स्थान पर भोलाशंकर अंकित कर राजस्व अभिलेख में इंद्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

पत्रावली का आवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड बैंक पासबुक, बिजली का बिल, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग, लाईसेंस, इनकम टैक्स कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र इत्यादि रिकॉर्ड में वादी का नाम भोलाशंकर दर्ज रिकॉर्ड है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं वादी वकील की बहस एवं तर्को से सहमत होकर वादी वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 1023 रकबा 2.86है0, खसरा संख्या 1236/61 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 1238/957 रकबा 1.74है0, खसरा संख्या 62 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 932 रकबा 2.69है0, कुल 5 किता की 7.67है0 कृषि भूमि पर वादी का नाम भोजराज के स्थान पर भोलाशंकर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। विवादित अराजीयात् पर यदि रहन भार है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावें।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

भोलाशंकर आयु 68 साल पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, आरटीएक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल कुमार बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा के माल में खसरा संख्या 1023 रकबा 2.86है0, खसरा संख्या 1236/61 रकबा 0.06है0, खसरा संख्या 1238/957 रकबा 1.74है0, खसरा संख्या 62 रकबा 0.32है0, खसरा संख्या 932 रकबा 2.69है0, कुल 5 किता की 7.67है0 कृषि भूमि पर वादी का नाम भोजराज के स्थान पर भोलाशंकर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। विवादित अराजीयात् पर यदि रहन भार है तो यथावत रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावें।

डिक्री मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 9/1/2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कूलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा
इटावा